

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 4/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/एक्सटैन्शन/राआनि)

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

का.आ. (ई) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28(9) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निर्णयन के प्रयोजनार्थ, जिनके लिए यथा उल्लेखित तालिका के स्तम्भ (4) में उल्लेखित समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी पहले ही नियुक्त हो चुका है, तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में शुल्क अथवा ब्याज निर्धारण के प्रयोजनार्थ, एतद द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 की उप धारा (8) के तहत समायावधि प्रारम्भिक कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.08.2019 की समाप्ति से आगे छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(9)(a) के अंतर्गत)	समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी नियुक्त करने वाली अधिसूचना सं. और दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मै: हाइपैड टेकनोलोजी इंडिया प्रा. लि., नोएडा, प्लॉट सं. 154C, ब्लॉक A, सेक्टर-63, नोएडा	फ़ा. सं. DRI/BZU/S-IV/Enq-36/Int-Nil/2018 दिनांक 01.08.2019 (एससीएन सं. 41/2019)	अधिसूचना सं. 39/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 29.08.2019

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-1/2020-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, कमरा संख्या 214, नव कस्टम हाउस, नई दिल्ली-110037 को इस निवेदन के साथ कि वे कारण बताओ नोटिस के नोटिसियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 की उप धारा (8) के अंतर्गत शुल्क अथवा ब्याज के निर्धारण हेतु महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा समायावधि को बढ़ाए जाने के बारे में सूचित करें।